जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना की अवधि बढाई
15 दिसम्बर तक बकाया राशि एकमुश्त चुकाने पर ब्याज व पेनल्टी में मिलेगी शत–प्रतिशत छूट
घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

जयपुर, 30 नवम्बर। सभी श्रेणीयों के कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू की हुई ''एमनेस्टी योजना'' की अवधि को 15 दिसम्बर, 2016 तक बढा दिया गया है। अभी यह योजना 30 नवम्बर तक के लिए लागू की हुई है। इसके साथ ही घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शन के विद्युत उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व सभी श्रेणियों के कटे विद्युत कनेक्शन के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ही बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि जमा कराने के लिए यह योजना लागू की हुई थी, जिन्होंने गत 5 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है। अब इस योजना का लाभ घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित उपभोक्ताओं के साथ ही इन दोनो श्रेणियों के कटे हुए कनेक्शन के विद्युत उपभोक्ता भी उठा सकते हैं चाहे उनके कनेक्शन 31 मार्च, 2015 के बाद भी बकाया राशि जमा नही कराने के कारण कट गए हों लकिन इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और इनको किश्तों में भुगतान की सुविधा नही होगी।

एमनेस्टी योजना के प्रमुख प्रावधान

- यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ के लिए है चाहे वे अपने कटे कनेक्शन को जुड़वाना चाहते हो अथवा नही।
- 31 मार्च, 2015 तक यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए तक है तो सम्पूर्ण राशि को एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट मिलेगी।
- बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज एवं पैनल्टी में शत–प्रतिशत छूट एवं शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली जाएगी।
- कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें।
- उपभोक्ताओं के कटे कनेक्शन को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि–कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाईन की लागत राशि जमा कराने पर ही पुनः जोड़ा जाएगा।
- बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी।
- ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
- योजना अवधि में उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी एवं यदि किसी उपभोक्ता का मूल राशि का विवाद है तो ऐसे उपभोक्ता सम्बन्धित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना अवधि में सम्बन्धित फोरम शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करेगें।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कन्जूमर को लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 489/2016